ई–मेल/विभागीय वेवसाईट/साधारण डाक से

# बिहार सरकार
## ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-PMGSY-1662/2019- 376 /पटना, दिनांक–17/02/2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भा०प्र०से०
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

**विषय** :प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–।। के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में संलग्न सूची के अनुसार पथ निर्माण की कुल 03 अदद योजनाओं के लिये स्तम्भ–6 में अंकित लंबाई (कि0मी0/मी0) एवं स्तम्भ–11 में निर्माण तथा अनुरक्षण सहित अंकित राशि के उन्नयन/ चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु अलग–अलग योजनाओं के लिये जिनकी **सम्मलित राशि रू0 21.9640 करोड़ रूपये (ईक्कीस करोड़ छियानवे लाख चालीस हजार रूपये) मात्र है**, पर योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के पटना जिला में राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–।। के अन्तर्गत पथों के लिए समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–P-17024/4/(3)/2018-RC दिनांक–11.11.2019 के द्वारा कुल 347 पथों जिनकी लम्बाई 2465.38 कि0मी0 तथा प्राक्कलित राशि रू0 1381.77 करोड़ एवं 06 पुलों जिनकी लम्बाई 266.54 मी0 तथा प्राक्कलित राशि रू0 14.06 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कुल स्वीकृत राशि रू0 1395.83 करोड़ जिसमें राज्यांश की राशि रू0 558.36 करोड़ है।

इनमें से 05.00–15.00 करोड़ की योजनाओं पर स्तम्भ–11 में अंकित राशि के निर्माण हेतु अलग–अलग योजनाओं के लिये उन्नयन तथा अनुरक्षण हेतु क्रमशः राशि रू0 18.0148 करोड़ रूपये तथा रू0 3.9492 करोड़ रूपये जिनकी कुल राशि **रू0 21.9640.~~8782~~ करोड़ रूपये (ईक्कीस करोड़ छियानवे लाख चालीस हजार रूपये)** मात्र है, पर निम्न योजनाओं के लिए विधिवत् योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता हैः–

12/02/2020 AE/BRRDA

14/2/2020.

| Sl. No. | District | Block | Package Number | Road Name | Pavement Length (in Kms.) | Mord Share Cost (in Lakhs) | Total State Share (in Lakhs) | Total Construction Cost (in Lakhs) | Maintenance Cost (in Lakhs) | Total Cost (in Lakhs) | Per km Cost (in Lakhs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **RRP-II AF** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Patna | Belchhi | BR26P2R-01 | L091-NH30ATamaulia Pul to Bihta - Sarmera SH Road via Korari Baghatila. | 7.25 | 286.97 | 191.31 | 478.28 | 85.36 | 563.64 | 77.74 |
| 2 | Patna | Fatuhan | BR26P2R-06 | MRL03-Chandasi More to Bhikhua Via Usfa, Dariyapur, Parsa, sotichak, Lasgari Chak Path. | 12.80 | 512.49 | 341.66 | 854.15 | 154.26 | 1008.41 | 78.78 |
| 3 | Patna | Fatuhan | BR26P2R-07 | MRL10-Puktha mukhya path to Jamanpura, Bali hote huye gangapur, Daulatpur to 4Lane, Dumri, Sanipur, Sonaru NH-30 Tak. | 15.55 | 281.43 | 187.62 | 469.05 | 155.30 | 624.35 | 40.15 |
| **TOTAL** | | | | | 35.60 | 1080.89 | 720.59 | 1801.48 | 394.92 | 2196.40 | 61.70 |

05.00–15.00 करोड़ के कुल 03 पथों (लम्बाई 35.60 कि0मी0) अनुरक्षण सहित कुल प्राक्कलित राशि रू0 21.9640 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें राज्यांश की राशि रू0 7.2059 करोड़ रूपये की राशि होगी जो PMGSY (राज्यांश) मद के लिये राज्य बजट से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी तथा अनुरक्षण की राशि रू0 3.9492 करोड़ रूपये होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी। विभाग के लिए शीर्ष 3054 के तहत प्रावधानित बजटीय उपबंध से अनुरक्षण कार्य के लिए कर्णांकित राशि से वहन किया जायेगा। यहाँ यह उल्लेखनिय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–।। के वर्ष 2019–20 (Batch-1) के अन्तर्गत Programme fund से कार्यान्वित की जाने वाली इन योजनाओं के लिए निर्माणोपरान्त अनुरक्षण हेतु निर्धारित अवधि 05 साल है।

3. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–।। के मार्गदर्शिका के अनुसार e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

4. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

5. यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–।। के दिशा–निर्देश के आलोक में किया जाना है। पथ निर्माण के लिये भारत सरकार से व्यय की जानी वाली राशि में से 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत बिहार सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी विभाग के योजना बजटशीर्ष–4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त हाने वाली राशि से किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में PMGSY योजनान्तर्गत प्रोग्राम फंड के केन्द्रांश मद के लिए रू0 540.00 करोड़ एवं राज्यांश मद के लिए रू0 400.00 करोड़ का बजट निर्धारित है। कुल रू0 3365.30 करोड़ वर्त्तमान में उपलब्ध है, का प्रयोग योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के कारण उत्पन्न दायित्व के व्यय के लिए किया जायेगा।

14/2/2020.

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

7. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कार्यान्वयन अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अन्तराल पर योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

10. इस योजना पर निम्नांकित शर्त्तो के साथ सहमति दी जा सकती है :–

(क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

(ग) वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली क सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलबधता के आधार पर व्यय की जायेगी।

(घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

(ङ) प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न करारना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएगे।

(छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

12/02/2020 AE/BRRDA 14/2/2020.

(ज) विभागीय संकल्प 4168 दिनांक–22.06.2009 की कंडिका 05 (e) यथा प्रावधान अतिरिक्त व्यय के राज्य योजना मद 4515 में विभाग को PMGSY योजनान्तर्गत स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाना है। तदनुसार इस योजना में इस प्रावधान का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाना अपेक्षित है।

11. इस योजना के लिए समीक्षा प्राधिकार (स्थायी वित्त समिति) की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग के संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-PMGSY-1662/2019 के पृ0–129–130/प0 पर दिनांक–11.02.2020 को तथा स्वीकृति प्राधिकार विभागीय माननीय मंत्री महोदय की स्वीकृति दिनांक–14.2.2020 को संचिका के पृ0–19/टि0 प्राप्त है।

12. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301वि (2), दिनांक–31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2), दिनांक–15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम–4–53/2007–3758 वि०, दिनांक–31.05.2017, के प्रावधानों एवे वित्त नियामावली, खण्ड–1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है तथा ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या–मु०अ०–4–PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक–22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-PMGSY-1662/2019 पृ0–19/टि0 पर दिनांक–14.2.2020 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

14/2/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-1662/2019 - 376 /पटना, दिनांक–17/02/2020

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/2/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-1662/2019 - 376 /पटना, दिनांक–17/02/2020

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा0), ग्रा0 का0 वि0/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/2/2020.
अपर सचिव

12/02/2020
AE/BRRDA